उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 49/2020

शांति देवी वगै0..........................वादीगण।

बनाम्

सुशिला देवी उर्फ शांति देवी वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

18.02.2026

उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 18.02.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि प्रतिवादी सं0 11 सरल राय की मृत्यु दिनांक 10.02.2026 को हो चुकी है। अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए मृत प्रतिवादी सं0 11 सरल राय का नाम कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारीसान सरबि देवी, धनलाल राय, ममता कुमारी के नाम को प्रतिस्थापित करने तथा का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और समय सीमा के अंतर्गत है जिसपर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति अंकित किये हैं। दिनांक 18.02.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। मृत प्रतिवादी सं0 11 सरल राय का नाम कलमजद करने तथा प्रतिवादी सं0 11 सरल राय के वारीसान सरबि देवी, धनलाल राय, ममता कुमारी का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतू अग्रिम कार्यवाही करें।

दिनांक– 18.03.2026 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)